RTE

प्रिन्टेड पेपर
बुक–पास्ट

भारत सरकार सेवार्थ
प्रारूप--2

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) अजमेर

क्रमांक जिशिअ/प्राशि/अज/मान्यता/2011–12/ 311 दिनांक : 20/8/11

प्रबन्धक, सम्राट पब्लिक स्कूल (अंग्रेजी) प्राथि
पसंद नगर कोटड़ा पुष्कर रोड अजमेर
(अजमेर)

प्रेषक : जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा. शिक्षा) अजमेर

विषय :निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक.............. के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेश से मैं सम्राट पब्लिक स्कूल (अंग्रेजी) प्राथि पसंद नगर कोटड़ा पुष्कर रोड अजमेर (विद्यालय का नाम पते सहित) को दिनांक 01.07.2011 से दिनांक 30.06.2014 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा एक से कक्षा पॉच तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन है:--

1 मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा--8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2 विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3 विद्यालय कक्षा 1 में, उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस--पड़ौस के कमजोर वर्गों और अलाभपद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4 पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा–12 (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

PRINCIPAL
Samrat Public Sr. Sec. School,
Pasand Nagar, AJMER

SECRETARY
Samrat Public Sr. Sec. School,
Pasand Nagar, AJMER

5 सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6 विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।

7 विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि :–

(i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम–23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना।

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है, और (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में अधिकथित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाऐं निम्नानुसार हैं :–

विद्यालय परिसर का क्षेत्र

कुल निर्मित क्षेत्र

क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल

कक्षा कमरों की संख्या

प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडार कक्ष

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय

PRINCIPAL
Samrat Public Sr. Sec. School,
Pasand Nagar, AJMER

SECRETARY
Samrat Public Sr. Sec. School,
Pasand Nagar, AJMER

पेयजल सुविधा

मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई

बाधा रहित पहुंच

अध्यापक पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता

11. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोइ गैर मान्यता प्राप्त कक्षाऐं नहीं चलाई जाएंगी।

12. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

13. विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

14. विद्यालय को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

15. विद्यालय के लेखाओं की चार्टड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए, तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) अजमेर को भेजी जानी चाहिए।

16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक.....271.........है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।

17. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) अजमेर द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कायकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाऐं।

18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

19. संलग्न उपाबंध-III के अनुसार अन्य कोई शर्त।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा अजमेर

PRINCIPAL
Samrat Public Sr. Sec. School,
Pasand Nagar, AJMER

SECRETARY
Samrat Public Sr. Sec. School,
Pasand Nagar, AJMER

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक:प•18(3)शिक्षा-5/2001 जयपुर, दिनांक : 9•7•04

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
राज० अजमेर ।

विषय : गैर सरकारी विद्यालयों को माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति प्रदान करने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार गैर सरकारी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को पैनल एवं जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) की अनुशंषा पर सक्षम स्तर पर अनुमोदन उपरान्त निम्नांकित विद्यालयों को उनके सामने अंकित संकाय/अतिरिक्त विषय में सत्र 2004-05 से उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत/अति•संकाय/अतिरिक्त विषय की स्वीकृति निम्न शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है :-

1• संस्था अनुदान की मांग नही करेगी ।
2• संस्था में प्रशिक्षित अध्यापकों को ही नियुक्त किया जायेगा ।
3• राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 व नियम, 1993 के प्रावधानों की यथोचित पालना की जायेगी ।
4• माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विनियमनों व निर्देशों की पालना की जायेगी ।
5• पहले वर्ष में इन विद्यालयों में कक्षा 11वीं प्रारम्भ की जायेगी एवं इसके बाद कक्षा 12वीं ।
6• अतिरिक्त वर्ग एवं विषय के लिये संस्था को पर्याप्त भवन एवं प्रयोगशाला आदि की व्यवस्था करनी होगी । यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निरीक्षण के समय कोई कोताही पाई गई तो संस्था की मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही करने पर भी विचार किया जायेगा ।
7• संस्था को निर्धारित आरक्षित कोष रखना एवं भवन सुरक्षा के संबंध में प्रति वर्ष सक्षम अधिकारी से आवश्यक प्रमाण-पत्र लेना होगा ।
8• माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से शीघ्र ही आवेदन पत्र (मान्यता हेतु) प्रपत्र-क प्राप्त कर चार प्रतियों में निदेशालय को प्रेषित करेगें ।
9• विद्यालयों के पते में बिना किसी राजकीय स्वीकृति के परिवर्तन नहीं किया जावें एवं क्रमोन्नति के पश्चात भी विभाग का जांच दल संस्था का निरीक्षण कर सकता है । यदि उस समय स्थान, भवन एवं आवश्यक सुविधाओं में कोई कमी पाई गई तो संस्था की क्रमोन्नति निरस्त कर दी जायेगी ।

Principal
Samrat Public Sr. Sec. School
Pasand Nagar. AJMER

SECRETARY
SAMRAT PUBLIC SR. SEC. SCHOOL
PASAND NAGAR, KOTRA, AJMER

लगातार•••2••

29	5	सीकर-II	x	आदर्श बाल भारती पब्लिक मा.विद्यालय, ढींगपुर वाया-बाय, सीकर विषय-भौ.वि., रसा.वि., जीव वि., विषय-भूगोल, राज.वि., इतिहास, हिन्दी साहि. संस्कृत साहि., कम्प्यूटर विज्ञान,	विज्ञान कला
30	1	जैसलमेर	xx xxx	मान्टेसरी बाल निकेतन उ.मा.वि. लक्ष्मीचंद सावल मार्ग, जैसलमेर अति.विषय-गृह विज्ञान	कला
31	3	सवाईमाधोपुर		आशीष मा.पब्लिक स्कूल मित्रपुरा, तह-बौंली, सवाईमाधोपु विषय- हिन्दी साहि., संस्कृत साहि., राज.वि., कला	
32	5	-"-	x xxx	सुमन आदर्श मा.विद्यालय ग्राम-पिलोदा, तह-गंगापुर सिटी सवाईमाधोपुर विषय-हिन्दी साहि., समाजशास्त्र, राज.विज्ञान अंग्रेजी साहित्य	कला
33	10	अजमेर-I	x	मीरा उ.मा.वि. III/5 लोहाखान, अजमेर अति.विषय-गृह विज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र	कला
34	9	-"-	x xxx	बाल मंदिर नर्सरी एवं बालिका उ.मा.वि. ब्यावर, अजमेर विषय-भौ.वि., रसा.वि., गणित, जीव विज्ञान	विज्ञान
35	8	-"-	x xxx	डिवाइन जोजफ मा.विद्यालय, अजमेर विषय- लेखाशास्त्र, व्याव.प्रबन्ध, टंकण हिन्दी व अंग्रेजी	वाणि
36	5	-"-	x xx xxx	श्री चिमनसिंह लोढा नूतन मा.विद्यालय, नेहरू गेट बाहर ब्यावर, अजमेर विषय- लेखाशास्त्र, व्य.प्रबन्ध, टंकण हिन्दी व अंग्रेजी	वाणिज्य
37	4	-"-	x xxx	वैदिक मा.विद्यालय परबतपुरा, अजमेर विषय-इति., राज.वि., अर्थशास्त्र, संस्कृत	कला
38	2	-"-	xxx	संत जोजफ मा.विद्यालय धौलाभाटा, अजमेर विषय-राज.वि., भूगोल, इतिहास	कला
39	1	-"-	x	सम्राट पब्लिक मा.विद्यालय पुष्कर रोड, पसंदनगर, कोटड़ा अजमेर विषय-भौ.वि., रसा.वि., गणित, जीव विज्ञान विषय-हिन्दी साहि., अंग्रेजी साहि. संस्कृत साहि, राज. विज्ञान, इतिहास	विज्ञान कला
40	1	करौली	x xx xxx	बाल भारती उ.मा.वि. केशवपुरा करौली विषय-भौ.वि, रसा.वि., जीव विज्ञान, गणित	विज्ञान
41	2	बूंदी		विद्या विहार हैप्पी सैकण्डरी स्कूल, न्यू कॉलोनी, बूंदी विषय- भौ.वि., रसा.वि., जीव वि., गणित विषय- लेखा शास्त्र, व्य.प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन	विज्ञान वाणिज्य
42	3	-"-		रवीन्द्र नाथ टैगोर उ.मा.वि. विकास नगर, बूंदी अति.विषय- भूगोल, अर्थशास्त्र, चित्रकला, उर्दू, संगीत, [illegible]ज.विज्ञान समाजशास्त्र	कला

SECRETARY
SAMRAT PUBLIC SR. SEC. SCHOOL
PASAND NAGAR, KOTRA, AJMER

Principal
Samrat Public Sr. Sec. School
Pasand Nagar. AJMER

53 14 कोटा कोटा माडर्न सी. सैकण्डरी स्कूल, रंगतालाब नयी बस्ती, कोटा जंक्शन, कोटा
विषय- हिन्दी साहि., अंग्रेजी साहि., गृहविज्ञान राज.विज्ञान, समाजशास्त्र, संस्कृत कला

54 19 -"- xx विदुरनवोदय मा.विद्यालय 1-ग-8, टीचर्स कॉलोनी केशवपुरा कोटा
विषय- भौ.वि., रसा.वि.गणित, जीव विज्ञान विज्ञान

55 5 बीकानेर x एच.आर.मेमोरियल पब्लिक मा.विद्यालय, कालू रोड लूणकरणसर, बीकानेर
विषय- भूगोल, इतिहास, चित्रकला, संगीत कला

56 8 -"- xx श्री सूरज बाल वाड़ी मा.विद्यालय जसूसर गेठ के बाहर, बीकानेर
विषय- लेखाशास्त्र, व्य.प्रबन्ध, टंकण हिन्दी व अंग्रेजी वाणिज्य

57 10 -"- आदर्श विद्या मंदिर मा.विद्यालय, गंगाशहर, बीकानेर
विषय- हिन्दी साहि., अंग्रेजी साहि., इतिहास राज.विज्ञान, गृह विज्ञान, कला
विषय- लेखाशास्त्र, व्य.प्रबन्ध, कम्प्यूटर विज्ञान टंकण हिन्दी व अंग्रेजी वाणिज्य

नोट - x आक्षेप पत्र की बिन्दु सं. 9 की पूर्ति करने की शर्ते पर

xx आक्षेप पत्र की बिन्दु सं. 11 की पालना दो माह में पूर्ण करने की शर्ते पर

xxx आक्षेप पत्र के बिन्दु सं. 6 की पालना दो माह में पूर्ण करने की शर्ते पर

उक्त शर्तो की पालना जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) दो माह की अवधि में सुनिश्चित करेंगे तथा संस्था द्वारा उक्त अवधि में पालना नहीं करने पर मान्यता/क्रमोन्नति आदेश रद्द करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे।

(रमेश सांखला)
लेखाधिकारी

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राज० बीकानेर।
2. उप शासन सचिव, प्रथम, माध्यमिक शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग।
3. विशेषाधिकारी, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग।
4. संबंधित संस्था प्रधान।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा।
6. रक्षित पत्रावली।

SECRETARY
SAMRAT PUBLIC SR. SEC. SCHOOL
PASAND NAGAR, KOTRA, AJMER

Principal
Samrat Public Sr. Sec. School
Pasand Nagar, AJMER

लेखाधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राज० बीकानेर ।
2. उप शासन सचिव, प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर ।
3. विशेषाधिकारी, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग ।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा ।
5. संबंधित संस्था प्रधान ।
6. रक्षित पत्रावली ।

(रमेश सारस्वत)
लेखाधिकारी

Principal
Samrat Public Sr. Sec. School
Pasand Nagar, AJMER

SECRETARY
SAMRAT PUBLIC SR. SEC. SCHOOL
PASAND NAGAR, KOTRA, AJMER